तारीख हुक्म	हुक्म याकार्यवाही मय इनिशियल्सजज **निगरानी / टि.ए / 2006 / 2909 / जयपुर** **रहीस शेख बनाम गन्नीखां पुत्र**	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए
13.06.2019	**एकलपीठ** **श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य** **उपस्थितः—** श्री मदनलाल गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से श्री अजीत सिंह राठौड़, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से **निर्णय** 1. यह निगरानी धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा वाद संख्या 113 / 99 में दिनांक 27.3.2006 को पारित निर्णय के विरूद्ध पेश की गई है। 2. निगरानी याचिका में दर्ज तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद संख्या 113 / 1999 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू जिला जयपुर में प्रार्थी रहीस शेख ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। जिसमें अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर दिया था एवं दिनांक 7.05.2002 को तनकी कायम की गई तथा तनकी कायम करने के पश्चात प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 15.02.2006 को आदेश 16 नियम 1 (3) सीपीसी के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें कथन किया कि वादी अपने वाद में 8 व्यक्तियों को गवाहों के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है जिसकी इजाजत प्रदान की जाए। उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 27.03.2006 को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा निर्णित किया गया जिसमें आदेश दिया गया कि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और वास्ते वादी को शहादत का अन्तिम अवसर दिया जाता है। 3. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया और अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। 4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। 5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते	

तारीख हुक्म	हुक्म याकार्यवाही मय इनिशियल्सजज **निगरानी / टि.ए / 2006 / 2909 / जयपुर** **रहीस शेख बनाम गन्नीखां पुत्र**	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए

हुए बहस की कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो प्रार्थना पत्र खारिज किया वह विधि विरूद्ध है और वादी को साक्ष्य प्रदत्त करने का अवसर देना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने जो साक्ष्य बंद कने का निर्णय पारित किया है वह निरस्त करने योग्य है।

6. विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस की कि सीपीसी के आदेश 16 नियम 1 के अन्तर्गत तनकी कायम करने के 15 दिनों के अन्तर्गत वादी को गवाहों को सूची प्रस्तुत करनी चाहिए, किन्तु वादी ने ऐसी कोई सूची प्रस्तुत नहीं की। दिनांक 7.05.2002 को तनकी कायम की गई लेकिन उसके 4 साल के पश्चात भी वादी ने गवाहों की सूची पेश न कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने विधिवत रूप से खारिज किया है। अतः उक्त निगरानी खारिज की जाए।

7. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावाली का अवलोकन किया गया एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का पठन किया गया।

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसमें गवाहों के परीक्षण की आवश्यकता होती है। प्रकरण काफी पुराना है। इसलिए न्यायहित में वादी को गवाहों की सूची प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाना उचित है। अतः उक्त निगरानी स्वीकार की जाकर वादी को आदेशित किया जाता हैं कि वह एक माह में गवाहों की सूची अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें और अधीनस्थ न्यायालय विधिसम्मत तरीके से सुनवाई कर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य